

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

क्र०सं०	मद	विवरण
1	परियोजना विवरण	जनपद हाथरस में मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा सादावाद-जलेसर मार्ग(एस० एच०-122) कि०मी० 49 के मध्य बॉयी पटरी पर खसरा संख्या 1096 ग्राम सहपड़ तहसील सादावाद जनपद हाथरस में स्थापित होने वाले रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.0781246 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
i	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
ii	जिला	हाथरस
iii	वन प्रभाग	हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।
iv	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (है० में)	0.0781246
v	वन भूमि की कानूनी स्थिति	संरक्षित वनभूमि (मार्ग पटरी)
vi	हरियाली का घनत्व	0.1
vii	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एक आर एल एफ आर एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल-4 मीटर भी संलग्न किये जाये।	प्रभावित वृक्षों की संख्या-0
viii	भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	समतल भूमि होने के कारण भू-क्षरण के लिये संवेदनशील नहीं है।
ix	वनत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	15
x	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां तो क्षेत्र का व्योरा और प्रमुख वन्यजीव बार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाए)	नहीं
xi	क्या वन क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न /विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है तो तत्संबंधी व्योरा दे	नहीं
xii	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। तो तत्समंधी व्योरा संक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रणाम पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दे।	नहीं
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्योरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित वनभूमि अपरिहार्य और न्यूनतम है उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।
3	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्योरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं	नहीं

(डा० चन्दा प्रताप सिंह)

प्रभारी अधिकारी

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस

दिनांक 25/11/2015

4	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
i	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनत्तेर क्षेत्र /अविकसित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इनकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्डों का आकार ।	संलग्न है
ii	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनत्तेर क्षेत्र /अविकसित वन क्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है
iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियां सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण किर्यान्वयक एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रोसोपिस, बबूल, कंजी, पापड़ी आदि।
iv	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना संलग्न है
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।)	संलग्न है
5	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषत उपर्युक्त कालम-7 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।	संलग्न है
6	विभाग/जिला प्रोफाइल	
i	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	18000.1 हेक्टेयर
ii	जिले का वन क्षेत्र	1615.611 हेक्टेयर
iii	ममलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	39
iv	1980 से जिला/प्रभागों में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	54.8538 हेक्टेयर
ख	वनेत्तर भूमि पर	0.00
	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
क	वन भूमि पर	104.602 हेक्टेयर
ख	वनेत्तर भूमि पर	4.59 हेक्टेयर
7	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारशें।	जनहित एवं विकास कार्य हेतु संस्तुति की जाती है।

(डा० चन्द प्रताप सिंह)

प्रमुख अधिकारी

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस

दिनांक 26/11/23